



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

9 माघ, 1946 (श०)

संख्या - 74 राँची, बुधवार,

29 जनवरी, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

19 दिसम्बर, 2024

संख्या-5/आरोप-1-155/2016 का.- 28780 (HRMS)--श्री गौरांग महतो, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-855/03, गृह जिला-प0 सिंहभूम), तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, रामगढ़ के विरुद्ध गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-5197, दिनांक 17.11.2016 द्वारा दिनांक 29.08.2016 को रामगढ़ जिला अंतर्गत गोला थाना क्षेत्र में घटित गोली कांड की घटना में लापरवाही बरतने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

2. उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-10531, दिनांक 09.12.2016 द्वारा श्री महतो से स्पष्टीकरण की माँग की गई। उक्त के अनुपालन में श्री महतो के पत्रांक-1753, दिनांक 23.12.2016 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा मुख्य रूप से प्रतिवेदित किया गया कि इन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन सही ढंग से किया है। इनके द्वारा अपने कार्य में कोई लापरवाही नहीं बरती गई है। उनके ऊपर लगाये गये आरोप सत्य नहीं है ।

3. श्री महतो द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-3161, दिनांक 17.03.2017 एवं स्मार पत्रों द्वारा गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची से मंतव्य की माँग की गई ।

4. उक्त के आलोक में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-5227, दिनांक 18.09.2024 द्वारा संबंधित मामले में आयुक्त कार्यालय, हजारीबाग के पत्रांक-17/गो0, दिनांक 14.08.2024 द्वारा समर्पित मंतव्य की प्रति उपलब्ध करायी गयी। आयुक्त कार्यालय, हजारीबाग द्वारा मंतव्य में अंकित किया गया कि समीक्षा के क्रम में यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि श्री गौरांग महतो दिनांक 29.08.2016 अंचल कार्यालय, गोला में प्रस्तावित बैठक में वरीय पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त थे न कि दण्डाधिकारी के रूप में। अभिलेख में संधारित दस्तावेजों से श्री गौरांग महतो के विरुद्ध कोई लापरवाही परिलक्षित नहीं होती है। श्री महतो का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य है।

आयुक्त कार्यालय, हजारीबाग द्वारा समर्पित मंतव्य के आलोक में गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा श्री महतो के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य प्रतिवेदित किया गया।

5. श्री महतो के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत श्री गौरांग महतो, झां०प्र०से० (कोटि क्रमांक-855/03), तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, रामगढ़ से संबंधित इस मामले को संचिकास्त किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री गौरांग महतो, झां०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	GAURANG MAHTO JHK/JAS/54	श्री महतो के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत श्री गौरांग महतो, झां०प्र०से० (कोटि क्रमांक-855/03), तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, रामगढ़ से संबंधित इस मामले को संचिकास्त किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,

सरकार के उप सचिव।

जीपीएफ संख्या:PTS/VET/646
